1-01-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इम्फाल उप-आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक युम्नन इराबंता सिंह और अन्य से संबंधित 5000 भोले-भाले निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 33.66 करोड़ रुपये का दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है।

ईडी ने मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक युम्नन इराबंता सिंह और मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीआईडी (अपराध शाखा), मणिपुर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर के माध्यम से यह आरोप लगाया गया था कि 2019 से 2021 की अवधि के दौरान, युम्नन इराबंता सिंह एक धोखाधड़ी वाली निवेश/जमा योजना चला रहे थे, जिसमें निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन अंततः उन्होंने और उनके सहयोगियों ने कई व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के धन को निकाल लिया था। जांच से पता चला कि युम्नन इराबंता सिंह और उनकी संस्थाएं भारी रिटर्न का वादा करके जनता से भारी मात्रा में धन एकत्र करके एक अनधिकृत जमा योजना चला रही थीं। युम्नन इराबंता सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मणिपुर राज्य के लगभग 5000 निवेशकों को धोखा दिया है और इस प्रकार इन भोले-भाले जमाकर्ताओं को 250 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाया है और बाद में खुद को गलत लाभ पहुंचाया है। यह भी पता चला है कि मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के बदले जनता/उधारकर्ता को ऋण दिया है (संपत्ति के बदले ऋण) और ऋण लेने वालों की संपत्तियों को मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और कर्मचारियों के नाम पर विक्रय विलेख निष्पादित करके स्थानांतरित और पंजीकृत किया गया था। कंपनी ने 2020 की पहली तिमाही से जमाकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, बिना उन्हें वादा किया गया धन वापस किए। उक्त संपत्तियां जो प्रमोटरों के नाम पर पंजीकृत थीं, उन्हें भी बिना वापस किए उनकी हिरासत में रखा गया था। इसके अलावा, इन निधियों का उपयोग, जो अपराध की आय (पीओसी) हैं, बाद में कई संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया।

ईडी ने पहले मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के निदेशक युम्नन इराबंता सिंह और उनके सहयोगियों के नाम पर 28.02 करोड़ रुपये की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों की पहचान की थी और उन्हें अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इसके अलावा, कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने के लिए माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, इम्फाल पूर्व के समक्ष 06.06.2025 को मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और श्री युम्नन इराबंता सिंह और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।

आगे की जांच से 121 और अचल संपत्तियों की पहचान हुई जो मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के निदेशक युम्नन इराबंता सिंह और उनके सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो पीओसी से प्राप्त की गई हैं। इस संबंध में, उक्त अचल संपत्तियां जिनकी राशि 33.66 करोड़ रुपये है, अनंतिम रूप से कुर्क की गई हैं। आज तक मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, युम्नन इराबंता सिंह और उनके सहयोगियों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों से संबंधित कुल राशि 61.68 करोड़ रुपये अनंतिम रूप से कुर्क की गई है।

आगे की जांच जारी है।